फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

शंकरलाल विपक्षी कुलदीप

न मुकदमा 53, 188 पत्रावली संख्या 48/22 सन् ____

ांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	13/9/22 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रति./विपक्षी/रेस्पो. को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली बाद तलबी दिनांक 6/10/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली	
	06/10/22 बमुलाय वादी / प्रतिवादी उप. नोटिस जवाब के लिये मौका चाहते है। अत: अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 20/10/22 को पेश हो। SDO मावली	
	20/10/22 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं. 1 के मार्फत वाद जामील प्राप्त / जवाब हेतु अवसर चाहा। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22/11/22 को पेश हो।	
	22/11/22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उप. / अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया / इस प्रकरण को वाद सं. 48/22 के साथ कन्सोलिडेट किये जाने के आदेश होने से उक्त पत्रावली क्र.सं. 28/22 वाद के साथ कन्सोलिडेट किया जावे।	पार्ट 9/2/

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:36:17 IST
Reason: SelfAttested

25/11/22

पत्रावली अधि. वादी द्वारा संलग्न वाद में 28/22 वाद कुलदीप बनाम शंकर लाल में शीघ्र सुनवाई का प्रा. पत्र पेश करने पर आज दिनांक को संलग्न वाद के साथ पेश हुई। चुंकि संलग्न वाद सं. 28/22 वाद को आज दिनांक को अधिवक्ता वादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से ड्रोप की जा चुकी है। अत: संलग्न वाद ड्रोप होने से अब इस प्रकरण में कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उप.। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में जवाब नहीं देना चाहकर वादी के वाद को स्वीकार कर बटंवारा किया जाने पर सहमति व्यक्त की। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16/12/22 को पेश हो।

15/12/22

पत्रावली अधिवक्ता वादी द्वारा प्रा. पत्र तलबी मय बिड़ो का पेश करने पर सीघे से तलब की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा उक्त आराजीयात बाबत माननीय सिविल न्यायालय मावली के प्र.स. 56/20 दु.दी. निर्णय दिनांक 07/9/21 को फैसल कर उभय पक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जाने से न्यायालय हाजा में लम्बित उक्त प्रकरण को ड्रोप किया जाने का निवेदन किया। अत: वादी द्वारा प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाने का निवेदन किया। वादी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अत: वादी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:36:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली